न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्जवल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 73 / 2020 (Bank Case)
GCMS No. 2020/ 06198

चौलामण्डलम इन्वे. एण्ड फाई. कम्पनी लि., रजिस्टर्ड कार्यालयः– डेरे हाउस, नम्बर–2ए एन.एस.सी. बोस रोड, पार्यास, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय–3सी, पर्ल प्लाजा, वल्लभबाडी, कोटा (राज.) जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रोहित चौधरी

– प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री पंकज जैन, निवासी–मकान नं. 117, वल्लभबाडी, तहसील– लाडपुरा कोटा (राज.) 324007
2. मैं कपास फेब्रीक पता– 24,ग्राउण्ड फ्लोर, सिंधी कॉलोनी, रावतभाटा रोड,तहसील–लाडपुरा, जिला–कोटा–324007 (राज0)
3. श्री स्वाती जैन, निवासी– मकान नम्बर 117, वल्लभबाडी , तहसील – लाडपुरा , जिला कोटा–324007 (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 02.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है चौलामण्डलम इन्वे. एण्ड फाई. कम्पनी लि., रजिस्टर्ड कार्यालयः– डेरे हाउस, नम्बर–2ए एन.एस.सी. बोस रोड, पार्यास, चैन्नई, क्षेत्रीय कार्यालय–3सी, पर्ल प्लाजा, वल्लभबाडी, कोटा (राज.) में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.03.2018 को रूपये 61,23,634/–(अक्षरेः रूपये इग्सठ लाख ,तैबीस हजार , छः सौ चौतीस मात्र) का ऋण लिया था अप्रार्थी सं0 1 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर –24, सिंधी कॉलोनी, गुमानपुरा, तहसील–लाडपुरा, कोटा (राज.) स्थित है का हिस्सा बिना छत के है , जिसका कुल क्षैत्रफल 120 स्क्वायर फुट है तथा प्लॉट नम्बर–24 सिंधी कॉलोनी , गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, (राज.) पर स्थित का हिस्सा बिना छत के है, जिसका क्षेत्रफल 961.25 वर्ग फीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–मेन रोड तथा प्लॉट नम्बर– 24 का हिस्सा, पश्चिम में– अन्य मकान, उत्तर में– जस्सूमल जी का मकान, दक्षिण में– प्लॉट नम्बर – 24 का शेष हिस्सा स्थित है ।** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 17.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 64,35,886/– (अक्षरे रूपये चौषठ् लाख, पैतीस हजार, आठ सौ, छियासी मात्र) बकाया रकम दिनांक 12.03.2020 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी

जिला कलक्टर
कोटा

को दिनांक 12.03.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गया। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 12.03.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 12.03.2020 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति प्लॉट नम्बर –24, सिंधी कॉलोनी, गुमानपुरा, तहसील–लाडपुरा, कोटा (राज.) स्थित है का हिस्सा बिना छत के है , जिसका कुल क्षैत्रफल 120 स्क्वायर फुट है तथा प्लॉट नम्बर–24 सिंधी कॉलोनी , गुमानपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा, (राज.) पर स्थित का हिस्सा बिना छत के है, जिसका क्षेत्रफल 961.25 वर्ग फीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में–मेन रोड तथा प्लॉट नम्बर– 24 का हिस्सा, पश्चिम में– अन्य मकान, उत्तर में– जस्सूमल जी का मकान, दक्षिण में– प्लॉट नम्बर – 24 का शेष हिस्सा स्थित है ।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 02.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा (राज०)